Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

165-2020/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, NOVEMBER 4, 2020 (KARTIKA 13, 1942 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 4th November, 2020

No. 38-HLA of 2020/88/16828.— The Haryana Law Officers (Engagement) Amendment Bill, 2020, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 38- HLA of 2020

THE HARYANA LAW OFFICERS (ENGAGEMENT) AMENDMENT BILL, 2020

A

BILL

further to amend the Haryana Law Officers (Engagement) Act, 2016.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-first Year of the Republic of India as follows :-

1. This Act may be called the Haryana Law Officers (Engagement) Amendent Act, 2020. Short title.

2. In the Haryana Law Officers (Engagement) Act, 2016 (hereinafter called the principal Act), for the words "appointed, appointing and appointment" wherever occurring, the words "engaged, engaging and engagement" shall respectively be substituted. Amendment of Haryana Act 29 of 2016.

3. In the proviso to sub-section (3) of section 6 of the principal Act, for the word "five", the word "ten" shall be substituted. Amendment of section 6 of Haryana Act 29 of 2016.

4. After section 9 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:- Insertion of section 9A in Haryana Act 29 of 2016.

"9A. Re-designation of Law Officer.- The State Government may, on recommendation of the Advocate General, re-designate any Law Officer to any higher post of Law Officer provided he fulfill the conditions relating to experience and number of cases conducted prescribed for the higher post in the rules made under this Act".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Haryana Law Officers (Engagement) ACT, 2016 was notified on 14.09.2016 with the objective to provide for a system of engagement of Law Officers in the office of Advocate General, Haryana in transparent, fare and objective manner and for a matters connected there with or incidental thereto. However, despite the clear objective of engagement of Law Officers on Contract basis, in sections 2(c), 4, 5, 6(1), 6(3), 8, 12, 14 and 17 of the Act, the words "appointed, appointing and appointment" have been used in advertently whereas, the words "engaged, engaging and engagement" should have been used therein. The use of the words "appointed, appointing and appointment" in the above mentioned sections of the Act may give a wrong impression of nature of job as permanent service though in the Act, it has been specifically mentioned that their engagement is on contractual basis. Thus use of these words may create confusion. Therefore, it is necessary to correct the inadvertent mistake of using of the words "appointed, appointing and appointment" in sections 2(c), 4, 5, 6(1), 6(3), 8, 12, 14 and 17 of the Act, by way of amendment in order to maintain the spirit of the Act. Further, keeping in view the strength of Judges in the High Court and Supreme Court of India, the strength of Advocates to be engaged on basis of special qualification and experience under proviso to sub-section (3) of the section 6 of the Act need to be increased from 5 to 10 to deal with specialized nature of cases. Presently, there is no provision for re-designation of law officer to any higher post of law officers despite his engagement on recommendation of the Selection Committee after acquiring long experience and requirements prescribed for the higher posts. Hence, a new section 9(A) is required to be inserted to provide such provision of re-designation of law officer against higher posts.

Hence, this Bill.

MANOHAR LAL,
Chief Minister, Haryana.

Chandiarh:
The 4th November, 2020.

R. K. NANDAL,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2020 का विधेयक संख्या 38–एच0एल0ए0

हरियाणा विधि अधिकारी (विनियोजन) संशोधन विधेयक, 2020

हरियाणा विधि अधिकारी (विनियोजन) अधिनियम, 2016,

को आगे संशोधित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. यह अधिनियम हरियाणा विधि अधिकारी (विनियोजन) संशोधन अधिनियम, 2020, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. हरियाणा विधि अधिकारी (विनियोजन) अधिनियम, 2016 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है) में, ''नियुक्त, नियुक्ति तथा की नियुक्ति'' शब्द जहां कहीं आएं के स्थान पर, क्रमशः ''नियोजित, नियोजन तथा के नियोजन'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे। 2016 के हरियाणा अधिनियम 29 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (3) के परन्तुक में, ''पांच'' शब्द के स्थान पर, ''दस'' शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा। 2016 के हरियाणा अधिनियम 29 की धारा 6 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 9 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :– 2016 के हरियाणा अधिनियम 29 की धारा 9क का संशोधन।

''9क. विधि अधिकारी का पुनः–पदनाम.– राज्य सरकार, महाधिवक्ता की सिफारिश पर, किसी विधि अधिकारी को विधि अधिकारी के किसी उच्चतर पद पर पुनः–पदनामित कर सकती है बशर्ते वह इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों में उच्चतर पद के लिए विहित अनुभव तथा निपटाए गए मामलों की संख्या से सम्बन्धित शर्तों को पूरा करता हो।''।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

हरियाणा के विधि अधिकारियों (विनियोजन) अधिनियम, 2016 को 14 सितम्बर, 2016 को अधिसूचित किया गया था, ताकि पारदर्शी, किराया और वस्तुनिष्ठ तरीके से और एडवोकेट जनरल, हरियाणा में विधि अधिकारियों की विनियोजन की व्यवस्था प्रदान करने के उद्देश्य से और इससे जुड़े मामलों के लिए साथ या आकस्मिक। हालाँकि, अनुबंध के आधार पर कानून अधिकारियों की विनियोजन के स्पष्ट उद्देश्य के बावजूद, अधिनियम की धारा 2 (सी), 4, 5, 6 (1), 6 (3), 8, 12, 14 और 17 में, शब्द "नियुक्त, नियुक्त और नियुक्ति "का उपयोग विज्ञापन में किया गया है, जबकि, "लगे, विनियोजन और विनियोजित "शब्दों का उपयोग किया जाना चाहिए था। अधिनियम के उपर्युक्त अनुभागों में "नियुक्त, नियुक्त और नियुक्ति" शब्दों का उपयोग स्थायी सेवा के रूप में नौकरी की प्रकृति की गलत धारणा दे सकता है हालांकि अधिनियम में, यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि उनकी विनियोजन अनुबंध के आधार पर है। इस प्रकार इन शब्दों का उपयोग भ्रम पैदा कर सकता है। इसलिए, अनुभाग 2 (सी), 4, 5, 6(1), 6(3), 8, 12, 14 और 17 में "नियुक्त, नियुक्त और नियुक्ति" शब्दों के उपयोग की अनजाने में हुई गलती को ठीक करना आवश्यक है। अधिनियम की भावना को बनाए रखने के लिए संशोधन के माध्यम से अधिनियम। इसके अलावा, भारत के उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की ताकत को ध्यान में रखते हुए, अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (3) के लिए विशेष योग्यता और अनुभव के आधार पर अधिवक्ताओं की शक्ति को विशेष योग्यता और अनुभव के आधार पर संलग्न किया जाना चाहिए। मामलों की विशेष प्रकृति से निपटने के लिए 5 से बढ़ाकर 10 किया जाए। वर्तमान में, लंबे अनुभव और उच्च पदों के लिए निर्धारित आवश्यकताओं को प्राप्त करने के बाद चयन समिति की सिफारिश पर विनियोजन के बावजूद विधि अधिकारियों के किसी भी उच्च पद के लिए विधि अधिकारी को फिर से नामित करने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए, उच्च पदों के विरूद्ध विधि अधिकारी के पदनाम के ऐसे प्रावधान को प्रदान करने के लिए एक नया खंड 9 (ए) सम्मिलित किया जाना आवश्यक है।

इसलिए यह बिल।

मनोहर लाल,
मुख्य मन्त्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 4 नवम्बर, 2020.

आर0 के0 नांदल,
सचिव।

8960—H.V.S.—H.G.P., Pkl.